भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 386
दिनांक 21 जुलाई, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

तम्बाकू का सेवन

386. श्री रामदास चंद्रभानजी तडस:
श्री फिरोज वरूण गांधी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क): क्या तम्बाकू का सेवन सभी प्रकार के गैर-संचारी रोगों के लिए प्रमुख जोखिम कारकों में से एक है;

(ख): यदि हां, तो वर्ष 2018 से तम्बाकू नियंत्रण के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या हैं;

(ग): क्या सरकार का तम्बाकू के सेवन को नियंत्रित करने के लिए सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 को सुदृढ़ करने का विचार है;

(घ): यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ड.): क्या नाबालिगों को/नाबालिगों द्वारा तम्बाकू उत्पादों की बिक्री किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है और यदि हां, तो पूरे देश में अब तक दर्ज ऐसे मामलों की संख्या कितनी है; और

(च): क्या सरकार के पास युवा पीढ़ी को तम्बाकू की लत से बचाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो. एस.पी.सिंह बघेल)

(क) और (ख): तंबाकू कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों, मधुमेह और क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) के साथ-साथ निमोनिया और क्षयरोग (टीबी) जैसे संक्रामक श्वसन रोगों का एक विदित जोखिम कारक है। वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एसपीआईपी) अनुमोदन और व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ग) और (घ): प्रारूप सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2020 का मसौदा पूर्व-विधायी परामर्श के लिए पब्लिक डोमेन में डाला गया था।

(ङ) और (च): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) (जेजे) अधिनियम, 2015 (2021 में यथा संशोधित) को शासित करता है, जिसमें किसी बच्चे को नशीली शराब या मादक पदार्थ या साइकोट्रोपिक पदार्थ देने वाले व्यक्ति पर कड़े दंड का प्रावधान करने के लिए एक अलग अध्याय है। किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत ऐसा कोई विशेष डाटा नहीं रखा जाता है।

इसके अलावा, स्कूल जाने वाले बच्चों को तम्बाकू उत्पादों के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) संशोधन नियम, 2011 के साथ पठित सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदायऔर वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (सीओटीपीए, 2003) की धारा 6 (क) के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को और उनके द्वारा तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध है। सीओटीपीए, 2003 की धारा 6 (ख) के अनुसार, किसी भी शैक्षिक संस्थान के सौ गज के दायरे में आने वाले क्षेत्र में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध है।

जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है और सीओटीपीए, 2003 के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वियन के लिए अधिनियम के प्रवर्तन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सीओटीपीए, 2003 की धारा-6 के प्रभावी कार्यान्वियन के लिए ''तम्बाकू मुक्त शैक्षिक संस्था (संशोधित)'' के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्य इन दिशा-निर्देशों के कार्यान्वियन के लिए शिक्षा विभागों के साथ मिलकर प्रभावी उपाय कर रहे हैं। विभिन्न तंबाकू विरोधी अभियानों के माध्यम से तंबाकू प्रयोग के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभावों के बारे में नियमित और निरंतर जागरूकता सृजित की जाती है। वर्ष 2022-23 के लिए, सीओटीपीए, 2003 की धारा 6 (क) और (ख) के तहत रिपोर्ट किए गए उल्लंघनों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कुल 2,05,655 चालान जारी किए गए थे।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 31 मई, 2023 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर 60 दिन का तंबाकू मुक्त युवा अभियान शुरू किया है, जिसे सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विशेष रूप से युवाओं में तंबाकू के उपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में गहन जागरूकता पैदा करने के लिए लागू किया गया है।

अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक एनएचएम के तहत राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार एसपीआईपी अनुमोदन और व्यय

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
		एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय	एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय	एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय	एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय	एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	7.08	3.00	16.33	2.36	23.75	1.41	26.00	2.68
2	आंध्र प्रदेश	37.38	34.32	63.38	53.75	67.98	67.98	244.23	226.33	380.16	279.90
3	अरुणाचल प्रदेश	89.76	159.42	255.80	-	414.00	69.66	149.86	90.87	500.75	17.31
4	असम	456.27	178.12	324.45	201.37	246.27	74.55	321.96	174.88	329.11	201.82
5	बिहार	390.20	57.51	304.97	72.43	188.61	20.33	220.81	7.92	169.71	10.63
6	चंडीगढ़	-	-	-	-	6.05	-	9.65	0.19	12.35	2.30
7	छत्तीसगढ़	802.86	145.76	410.20	782.91	284.70	171.07	492.88	229.34	386.80	328.69
8	दादरा और नगर हवेली	17.77	5.99	1.35	3.10	15.92	3.71	0.04	9.72	16.90	4.81
	दमन और दीव	2.08	0.90	4.82	0.95						
9	दिल्ली	154.60	17.36	243.20	18.18	117.89	7.17	198.43	25.14	277.49	47.52
10	गोवा	26.89	5.92	40.02	17.74	26.18	12.26	52.58	37.43	54.40	42.87
11	गुजरात	383.45	368.10	378.77	260.42	351.88	154.31	333.48	152.01	347.55	235.21
12	हरियाणा	232.30	7.95	278.36	650.87	171.50	40.18	215.20	128.57	212.80	169.09
13	हिमाचल प्रदेश	148.00	21.14	92.00	41.90	63.50	20.24	50.01	21.25	114.20	28.32
14	जम्मू और कश्मीर	50.50	23.56	129.36	24.61	265.05	1.52	83.60	49.77	64.10	9.68
15	झारखंड	283.52	47.24	338.16	103.75	346.96	109.58	426.26	420.78	440.76	321.60
16	कर्नाटक	432.60	310.35	415.40	343.95	429.14	329.30	693.11	609.38	526.94	366.79
17	केरल	392.75	117.28	240.15	56.56	217.70	65.78	336.43	90.35	445.71	115.73
18	लद्दाख।	-	-	-	-	-	-	13.54	4.86	27.80	12.33
19	लक्षद्वीप	9.50	10.76	5.62	1.54	14.71	0.87	14.16	1.92	18.50	4.30
20	मध्य प्रदेश	95.80	26.82	3,313.23	177.78	454.90	26.97	251.45	30.05	438.47	112.06
21	महाराष्ट्र	1,546.76	167.18	210.21	161.14	195.83	86.14	127.43	216.30	489.26	205.95
22	मणिपुर	42.00	95.15	142.40	44.16	95.14	1.50	146.80	3.68	116.80	6.58
23	मेघालय	23.60	-	76.60	27.86	110.18	124.26	63.55	57.34	64.72	88.72
24	मिजोरम	33.24	37.58	35.03	4.76	42.90	16.10	37.77	117.73	63.68	27.28
25	नागालैंड	132.34	63.99	161.27	28.71	72.88	5.31	102.62	21.54	142.90	47.83
26	ओडिशा	287.35	107.90	201.61	90.21	238.46	90.73	461.95	262.53	442.04	299.21
27	पुद्दुचेरी	7.75	1.96	14.08	7.59	18.18	7.87	23.93	8.25	20.13	15.13
28	पंजाब	156.50	6.16	73.68	3.88	68.00	-	76.00	4.85	68.85	6.06
29	राजस्थान	179.50	165.86	319.63	253.80	422.08	305.46	753.18	639.17	805.22	509.89
30	सिक्किम	42.77	8.29	11.34	4.43	19.20	1.68	22.52	-	23.39	15.05
31	तमिलनाडु	49.82	44.32	145.89	86.39	52.80	5.99	88.50	179.42	333.15	82.77
32	तेलंगाना	33.50	3.06	77.50	12.42	84.32	43.56	75.35	5.75	85.00	-
33	त्रिपुरा	99.70	62.58	52.70	25.07	53.65	31.46	86.41	68.59	114.47	66.67
34	उत्तर प्रदेश	1,687.16	1,160.53	1,724.86	919.85	1,256.72	535.25	3,228.32	984.36	2,752.25	1,511.00
35	उत्तराखंड	66.71	27.29	75.35	32.42	48.50	23.12	140.57	144.79	168.62	90.85
36	पश्चिम बंगाल	172.57	95.24	105.95	119.22	125.01	102.76	131.32	157.43	131.01	120.75

1. उपर्युक्त आंकड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित उपलब्ध वित्तीय प्रबंधन रिपोर्टों (एफएमआर) के अनुसार हैं और अनंतिम हैं तथा इन्हें 31.03.2023 तक अद्यतन किया गया है।

2. जम्मू और कश्मीर राज्य (जेएंडके) के संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख में पुनर्गठन के बाद, 2020-21 के दौरान पहली बार संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख को एनएचएम निधि वितरित की गई।

******